दसम्–अध्याय
अभिभावक-अध्यापक संघ की उपलब्धियाँ, निष्कर्ष
पुर्णसुधार हेतु सुझाव

(अ) अभिभावक-अध्यापक संघ की उपलब्धियाँ-

अभिभावक-अध्यापक संघ की मौलिक उपलब्धि शैक्षिक जगत में आई अन्वयनकल्प को दूर करना है। अभिभावक और अध्यापकों के परस्पर निकट आने से तथा विचार विभिन्न करने से शैक्षिक विकास के नये द्वार खुले हैं। अभिभावक-अध्यापक एक साथ बैठकर छात्र की सामर्थ्य उसके साथों की सीमा और उसके परिवेश को ध्यान में रखते हुए, उसकी समस्याओं से परिचित होते हैं, और दोनों जिलकर उन समस्याओं का हल भी बूझते हैं। जिसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है, कि छात्र अध्यापकों के कठोर अनुशासन एवं परिवारिक परिस्थितियों के विषय में संघर्षजन्त तनाव से मुक्त पा जाता है। छात्र की दोनों पक्षों की सहायता और साथी का सामने प्राप्त हो जाता है। जिसके कारण न हो वह अभिभावकों से विद्रोही हो पाता है और व ही अध्यापकों के प्रति अनुशासन हीन और तनाव पूर्णता बातचीत में वह अपना अध्यापन और शैक्षिक विकास प्राप्त कर लेता है। दोनों पक्षों का प्रताप, प्रेरणा और सहायता उसके चारागाहित विकास का गति देती हैं। और उसमें जुड़ने की क्षमता उपलब्ध करती है। संक्षेप में भावनीव भूमियों की सही स्थापना होता प्रावधान हो जाती है। उसके बारे के ख्यात विस्तृत होने लगते हैं। इसका भावनात्मक विकास होता हैं। और जीवन के प्रति उसका सीमित पक्ष वृद्धिकोण हो जाता हैं।

पी० टी० एंटी की इस दिशा में उपलब्धि में महत्ता हैं।

अध्यापक अभिभावकों के संघ की स्थापना के कारण अभिभावक बार-बार विद्यालय आते है। विद्यालय की भौतिक क्रियाएँ देखते हैं, और असुविधाओं को अनुभव करते हैं, और उसी के कारण उन क्रियाओं को दूर करने की योजना बनाते हैं। तद्र्य दादादि भी दिया करते हैं। जिससे विद्यालय का आर्थिक आयार तुदू होता हैं। और भौतिक संसाधनों की पूर्ति होती हैं। विभिन्न विद्यालय में यह भूमि जिन्न लिखित स्वरूपों में दृष्टिगत हुई :-

(अ) स्वतन्त्र आर्थिक संसाधनों के कारण विद्यालय में होने वाले अध्यापकों की सम्पूर्ति कर, छात्रों की पढ़ाई को निर्धारित किया गया।

(ब) विद्यालय के फर्नीचर की दूर-फूट की भरमात्र एवं नये फर्नीचर की आपूर्ति अभिभावक-अध्यापक संघ के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में की गई।

(ब) भवन आदि की सम्पूर्ति / अनेक विद्यालयों में बदली हुए छात्र संख्या के लिए शिक्षण कक्ष, वाचनलय कक्ष, तथा वह शिखा वाले विद्यालयों में छात्राओं के लिए विशेष तृप्तियाँ समन्वय कक्षों का विनिर्माण अभिभावक अध्यापक संघ के माध्यम से किया गया।

(छ) कल्पना विद्यालयों में स्कूलिंग, रेड्रॉस खेलकूद आदि क्रिया-कलापों विकास हेतु पी० टी० एंटी प्रवर्तित कार्य किये हैं।
(२) निर्धारण छात्रों के लिए विद्यालय गणवेष (सूचीफॉर्म), पुस्तकें, वचनें, श्रवण यन्त्र, कापियाँ, आदि वितरण व्यवस्था की है।

(३) किसी-किसी विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक संघों के शैक्षिक परिषदमण पर जाने के लिये यात्रा सुविधाएं देने का निश्चय किया है। जिसके अन्तर्गत रेलवे से प्राप्त कन्नौज शहर में लगाने वाले यात्रा व्यवस्था का प्राप्त वितरण किया जाता है।

अभिभावक-अध्यापक संघ ने विद्यालयालों में प्राप्त विद्यालय किया है कि योग्य छात्रों को प्रेषण और प्रोत्साहन देने के लिये पुनर्खड़ दिये जायें। छात्रों के मनोरूपको भ्रमण संस्थाएं की तरफ अधिक होता है जबकि अध्यापक और प्रधानाचार्य उनकी बात को सुनते, समझते व समझान करते हैं। ऐसे विद्यालयों के लिये अभिभावक बिना किसी आर्थिक लाभ के दिन यह परिषदमण करते हैं और विद्यालय और समाज के बीच में तालमेल स्थापित करते हैं।

वे विद्यालय की सामाजिक प्रतिष्ठा समाज के उदयस्थल भी हो जाते हैं और विद्यालय तथा विद्यालय के अध्यापकों की प्रतिष्ठा समाज में स्थापित करते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना उनके गुणों का सामाजिक स्तर पर अभिनंदन करना विद्यालय के व्यवस्था हिस्त में होता है। अनेक संस्थाओं ने ऐसे आयोजन करके महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित हैं। और अभिभावकों की सर्वश्रेष्ठ आलोचना प्राप्त की है।

अभिभावक अध्यापक संघ एक प्रकार का ऐसा सामाजिक नियंत्रण है जो परोक्ष रूप से अध्यापकों पर नियंत्रण स्थित है। शैक्षिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था में परस्पर तालमेल न होने के कारण, अध्यापक नियंत्रण वित्तीयता की स्थिति अनुभव करने लगी थी। अध्यापकों का चयन शिक्षा सेवा अयोग्य से होता है। निर्देशित प्यार विद्यालय प्रबंधन तन्त्र देता है, कार्य प्रधानाचार्य लेता है, वेतन विभाग देता है किसी भी स्तर पर अध्यापक के नियोजन में तालमेल नहीं हैं। इसी प्रकार आव्यूहित और दोषी अध्यापक को दण्डित करने का विधान भी निर्माता लिखित एजेंसियों से पूरा होता है।

प्राथमिक शिक्षान्त अध्यानाचार्य के स्तर से प्रावश्यक होती है। शैक्षिक विकास में यह योजना सबसे अधिक सार्थक है। जल्द और पुनर्खड़ का सिद्धांत क्षमता विकास और प्रतियोगिता पत्रपाने के लिये अति आवश्यक है।

इसीलिए इस योजना का विद्यमानवता में सम्मानित किया गया है। छात्रों को दिये जाने वाले पुनर्खड़ अनेक प्रकार के हैं। कहीं पाठ्य सामान, कहीं प्रशासित पत्र प्रदान करके यह पुनर्खड़ प्रदान किये जाते हैं। पुनर्खड़ प्राप्त छात्र इससे गौरव का भाव अनुभव करता है। जबकि अन्य लोगों में प्रतियोगिता का भाव जाग्रत होता है।

पी0 टी0 ए0 के संशोधित स्वरूप में छात्रों को पुनर्खड़ करने के साथ ही साथ अध्यापकों को सम्मानित करने की योजना भी सम्बन्धित है। इस योजना
के अन्तर्गत उन अभिभावकों को सम्मानित किया जाता है। जो आदर्श अभिभावक हो। अर्थात जो छात्र के विकास के लिये विद्यालय का सर्वदिश सहयोग करते हैं, विद्यालय के विकास हेतु जिनका प्रत्यक्षीय योगदान रहा है। यह योगदान अर्थिक दान के रूप में, विशेष सहयोग (विभागीय कार्यकलापों से) के रूप में, तथा अभिभावक-अध्यापक संघ में प्रत्यक्षीय सेवाएं जिन्हें की हों। यह योजना अभिभावकों विद्यालय की ओर आकर्षित करते, उनका उदार सहयोग प्राप्त करने एवं उनकी आत्मिकता को अर्जित करने के उद्देश्य से की गई है। अभिभावक विद्यालय का लो वेतन भोगी हैं और न पारिष्ठरिक भोगी (मानदेय भोगी) हैं। और विद्यालय के प्रति उनकी सेवाएं प्राप्त करने का ही यही एक भाग आयार है। प्राव: अभिभावकों का प्रबल तन्त्र दण्ड का प्रस्ताव करता है। विभाग प्रस्तावित दण्ड को अनुमोदन के संस्करीत करता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग दण्ड को अनुमोदित करता है। और प्रबल तन्त्र दण्ड को क्रियाविद करता है। इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई भी चूक हो जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित दण्ड नहीं दिया जा सकता। इस महीना अनुसार आयाम के प्रकार अध्यापक अपनी सेवा सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहता है। विभाग और प्रबल तन्त्र की दोहरी लिखित प्रणाली वे अध्यापक की लिखित ही होती है। ऐसे रूप में अध्यापक अभिभावक संघ अध्यापकों के उपर एक विचार शील परेशान सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। अध्यापक की अंजामों और बुराइयों से आधार पर उसका भूल-भूलाकर करता है। और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अध्याय अंतर्द्वारा स्थापित करने में परम सहयोग होता है।

माध्यमिक शिक्षा के शीर्ष पर स्थित प्रधानाचार्य अत्यन्त एकदी एवं कार्य संस्कृति का नियमानुसार की भूमिका अदा करता है। संस्था में एकदी और अनुपात में 1/40 की स्थिति में रहकर भी प्रधानाचार्य विद्यालय और विद्याधिकारियों के हितार्थ में उसे-कभी छात्रों के संगठन, कभी अध्यापक संगठनों से, कभी शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के संगठनों से सतत जुड़ता पड़ता है। अतः ही उसे विभाग, प्रबल तन्त्र, अभिभावक, अध्यापक एवं छात्रों के पाँच-पाँच भोगों को सम्बन्धित पड़ता है। एकदी प्रधानाचार्य के विद्यालय में कार्य संस्कृति की स्थापना की चिन्ता होती है। जिसके लिये यह एक मेव उत्तरदायी है। पी० टी० ए० ने इस दिशा में प्रधानाचार्य को हर प्रकार का सहयोग और सम्बल दिया।

(२) निष्क्रिय एवं पूर्वसिधार-

अभिभावक-अध्यापक संघ की उपलब्धि को वर्तमान समय में कोई चुनौती नहीं दें सकता तबक अभिभावक-अध्यापक संघ के वर्तमान संगठनीक धार्मे में विभिन्न प्रकार की कमियों दिखाई दी। ये कमियों निकटलिखित हैं-

(१) आय से अधिक क्षेत्र-

पी० टी० ए० (यदि उसका विधि वत्त कार्य संचालन किया जावे तो) ज्ञात होगा कि इस संस्था का वित्तीय धारा एक दम कमजोर है। जो सदस्यता
शुल्क आय हैं और न कोई राजकीय अनुदान, न ही कोई विशेष आदेश है। इसी तथ्य में सामान स्वैच्छिक दान द्वारा ही छत्र बिकास एवं विद्यालय बिकास के कार्यक्रम संचालित करने का दायित्व अभिभावक-अध्यापक संघ के ऊपर है, विद्यालय के सम्पूर्ण अभाव की पूर्ति भी संघ का लक्ष्य हैं। प्रायः सभी विद्यालयों में यह संघ आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। इससे आय अति न्यूत और व्यय भर अत्यधिक है। इस तथ्य से निपटने के लिये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

(1) सभी अभिभावक सदस्यों से मात्र स्ट्राइक, बदमाश सरकार सदस्यता शुल्क का प्रावधान किया जाएँ।

(2) प्रत्येक पी-0 टी-0 ए-0 को सरकार आर्थिक सहायता के रूप आर्थिक एवं अनावर्तक अनुदान देने का प्रावधान करें, जिस प्रकार प्रबन्ध तन्त्रों को अनुदान दिये जाते हैं।

(3) समाज के धनी-मामले एवं सम्पूर्ण व्यक्तियों से दान लेना यथावत् चालू रखा जाये।

(4) अन्य अभिभावक अध्यापक संघों को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा पुरुषकृत किया जाना चाहिए व उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए।

(2) निर्वाचन को लेकर गुटबाजी—

यद्यपि वर्तमान जिलाध्यक्ष में अभिभावक अध्यापक संघों के निर्वाचन को स्वारूपता के माध्यम से संकारित करने की चेष्टा की गई हैं। फिर भी चुनाव के बुरे पहले पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। प्रतिवर्ष चुनाव होने के कारण गुटबाजी भी प्रतिवर्ष जवाब हो जाती हैं। अध्यापकों-अभिभावकों एवं छात्रों के प्रतिवर्ष जवाब-देने समय करने को मिलते हैं। चुनाव में विजयी गुट पराजित गुट की उपेक्षा करता हैं। और पराजित गुट, विजयी गुट को असहयोग, ऐसी स्थिति में प्रदानावर्धन की स्थिति बड़ी दुखिया पूर्ण होती हैं। उसे कभी पराजित पक्ष का सहारा लेना पड़ता हैं, तो कभी विजयी पक्ष का। इस प्रकार उसे किसी न किसी गुट की कठपुतली बन कर रहना पड़ता हैं। इस गुटबाजी को समाप्त करने के लिये निम्न लिखित उपाय किये जा सकते हैं—

(1) चुनाव का स्थान पर मनोनयन।
(2) कार्यकारिणी में पदाधिकारियों का मनोनयन।
(3) एक निश्चित संख्या से उसी प्रकार किया जाना चाहिए, जिस प्रकार विद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र में जिला विद्यालय निदेशक एवं उपशिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षा विद्यों का मनोनयन किया जाता हैं।
(4) कार्यकारिणी के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण।
(5) पी-0 टी-0 ए-0 के स्तर पर अखबारों एवं उनके स्तरोन्मात्र के लिये आवश्यक स्थान है कि कार्यकारिणी में योग्य सदस्यों को ही स्थान दिया जाये।
(3)-प्रधानाचार्यों का वर्णन —

प्रधान नियमावली में विभिन्न उपनिवेशों द्वारा इस बात की पूरी विवेचना की गई है कि प्रधानाचार्यों के वर्णन को सुरक्षित रखा जाये। इस हेतु उसें संध्या का सर्वाधिक पद संरक्षक प्रदान किया गया है। प्रमुख कार्यकारिणी बनाने के लिए इस प्राथमिक बीच कि प्रधानाचार्य स्वतंत्र संध्या का मंत्री रहे अथवा अपने किसी विशाल पात्र व्यक्ति को मंत्रित का कार्य सौंप देय। फिर भी संध्या के गद्दे में प्रधानाचार्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। पूर्ण कार्य कारणी के नियमावलीसे उसे चुनाव के समय पूर्ण निश्चित व्यक्तियों का नाम ही प्रस्तावित करने का अधिकार दिया गया है। अपने स्वतंत्र विनियन और स्वतंत्र से किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित तक नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में वह भारत के राष्ट्रपति के समान केवल पूर्ण कार्यकारणी की रबर स्टाफ्स ही बन कर रह जाता है।

आर्थिक मामलों में उसे छोटे बड़े सभी व्ययों के लिये बैंक से पैसा निकालने हेतु उसे हस्तक्षेप बनाने होते है। पाँच सी सूचनों से कम के लिये कोषाध्यक्ष के साथ और पाँच सी रूपरेखा से अधिक के लिये अध्यक्ष के साथ उसे संयुक्त हस्तक्षेप बनाकर धनहरण का पूरा उत्तर दायित्व लेना होता है। जबकि उस आहरित धन के व्यय को नियन्त्रित करने का उसे कोई अधिकार नहीं होता।

इस प्रकार शिक्षा संहिता द्वारा प्राप्त आर्थिक उत्तर दायित्वों से विलंब रहने की उसकी स्थिति भी अब समाप्त कर दी गई है।

(4)-विषयवार (कक्षावार) मानिक बैठकों में समय व्यय होने के कारण अध्यापकों में रोज एवं अध्यापकों की अन्य मनस्कर्ता एवं न्यून उपस्थिति—

अभिभावक अध्यापक संघ के सफल क्रियान्वयन हेतु विषय वार (कक्षावार) मानिक बैठकों की संस्थान भी की गई है। जो छात्रों के शैक्षणिक विकास की मूल धृति है। इन बैठकों का उद्देश्य यह है कि छात्र के विषय में अध्यापक अपनी धारणा और परामर्श अभिभावकों को दे सके। और अभिभावक अपने पारिवारिक परिवेश की विवाही विषयक सुविधा अध्यापितों अध्यापकों को बता सके। और दोनों पक्षों समन्वित प्रशासनों से छात्र की विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर की सभी समस्याएं हल की जा सकें। किन्तु व्यवहार में दूसरी ही रूप दिखायी दे रहा है।

विषयवार (कक्षावार) मानिक बैठकों में सबसे बड़ी वादा रविवारीय अवकाश है। ऐसी बैठकें अभिभावकों की सुविधा हेतु रविवार अवकाश के दिन ही रखी जाती है। यह अवकाश का समय अध्यापकों को जब मानिक बैठकों में व्यय करना पड़ता है। तो उसकी वैशिष्ट्य और पारिवारिक सुविधाओं में कठोरी होती है। जिसकी परिणाम स्वरूप वे व्यक्तिगत रूप से तथा पारिवारिक रूप से बड़े
(1) अवकाश के दिनों में यदि बैठकों आयोजित की जाती हैं तो इसके बदले अध्यापकों को प्रतिकार अवकाश प्रदान किया जाय। ताकि वे अपने अवकाश की क्षति पूर्ण कर सकें।

(2) अवकाश के दिनों में बैठकें आयोजित न की जाये वरन् कार्य दिवसों में ही विधालय समक के उपरांत उनके आयोजन किये जायें।

(3) मीटिंगों में व्यक्त होने वाले समय के लिये अध्यापकों को कोई परिवर्धन आदि का प्राप्तान किया जायें।

(4) अध्यापकों के बैठक में उपस्थित रहने हेतु उनकी सेवा शर्तों में ऐसा परिवर्तन किया जाय कि वे अनिवार्य रूप से बैठकों में उपस्थिति दे और अपना योगदान करें। विपरीत आचरण करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकें।

(5)-प्रबंध तन्त्र का विरोधात्मक रूपांतरीकरण-

प्रबंध तन्त्र और पी०००० दोनों ही विधालय और विधायिकों के हितार्थ संगठित किये गये हैं। किन्तु इन दोनों संस्थाओं में व्यवहारिक सामंजस्य स्थिति नहीं हो सकता है।

प्रबंध तन्त्र के खिलाफ हुए अधिकारों के परिवेश में प्रबंध तन्त्र अक्षम्यता हो गया है। और उसे ऐसा यातनाही होते लगा है। पी०००० के माध्यम से सरकार उनका प्रतिस्पर्धी संगठन स्थापित कर रही है। प्रबंध तन्त्रों के दानादि के लिये बिन्दु करना तथा अभिनव अध्यापक संघ को दान देकर स्वीकार करने का अधिकार देना, इस धरण की जड़ में है। कभी-कभी ऐसे बुद्धिक भी आते हैं, जब पी००० टी० ए० का एक प्रस्ताव होता है और प्रबंध तन्त्र का उसके विपरीत। भवन निर्माण एवं विधालय भवन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, फर्नीचर आदि की उपयुक्तता आदि। ऐसे अनेक बिन्दु हैं। जिन पर प्राप्त टकराहट को जाती है। इस टकराहट में प्रधानाचार्य की स्थिति बहुत अधिक हो-गरीब हो जाती है। प्रबंध तन्त्र की अधिनता में रहने वाला प्रधानाचार्य पी०००० टी० ए० के संस्कार होंने पर विरोध और असहाय हो जाता है। टकराहट की इस स्थिति से बिपटने के लिये जिस समाधान की व्यस्था की गई है उसके अन्ततः अविधाय विधायिक बिन्दु जिला विधालय निविद्यक को संदेशित कर दिया जाता है और उसका विधेयक अनुमति होता है। विधान के निकट समस्या में रहने के कारण विधेयक प्रायः पी०००० टी० ए० के पक्ष में जाते हैं उससे प्रबंध तन्त्र और अधिक उनके कारण हो जाता है। तथा क्षुद्र और अस्वस्थ प्रबंध तन्त्र के रूप का शिकार प्रधानाचार्य को होना पड़ता है। ३०००० में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहाँ प्रधानाचार्य को पी००० टी० ए० के संस्कार के रूप में कार्य करना असंभव हो
गया। और टकराहट की स्थिति से बचने के लिये उन्हें विवश होकर या तो संघ भंग करना पड़ा है, या प्रबंध तन्त्र के सम्मुख समपर्ण करना पड़ा है। अथवा संकटों का सामना करना पड़ा है। ऐसे अनेक मामलों विभाग एवं व्यापारियों में लघुबंद पड़े हुए है। प्रबंध तन्त्र और पी0 ठी0 ए0 में तालमेल बैठने के उद्देश्य से प्रबंध तन्त्र का एक प्रतिनिधि पी0 ठी0 ए0 की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाता है। जो पूरी पी0 ठी0 ए0 की कार्यकारिणी में पूरे प्रबंध तन्त्र का प्रतिनिधि तत्व करता है। किन्तु अकेला होने के कारण उसकी आवाज बहुत क्षीण रहती है। और बड़हमत के विर्य भेज उसका स्थान नहीं होता है।

अतः प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली भी प्रबंध तन्त्र के असंतोष की टकराहट में दूर करने में कृत कार्य नहीं हो सकता है। इस स्थिति से उपरोक्त के लिये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

(1) प्रबंध तन्त्र के प्रतिनिधियों की संख्या पी0 ठी0 ए0 में बढ़ायी जाये।
(2) पी0 ठी0 ए0 के प्रस्तावों के कार्यात्मक इतिहास किए संरक्षकों को ऐसी शक्तियों प्रदान की जाये कि वे प्रबंध तन्त्र को दबावों से पुरुष होकर कार्य कर सकें।
(3) जहाँ प्रधानाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यक्षेत्र की जा रही हो, वहाँ के प्रधानाध्यक्ष के साथ किये जा रहे पी0 ठी0 ए0 से समलग्नतत्व कार्य का दोष सूची में सम्मेलित न किया जा सकें।

(6) पी0ठी0ए0 के सदस्यों द्वारा विधि विपरीत कार्य करने पर दण्ड विद्युत का अभाव–

वर्तमान पी0ठी0ए0 के सदस्यों की अन्तर्जाति एवं अन्तर्जाति की उलझन तो किया गया है। किंतु पी0ठी0ए0 के सदस्यों द्वारा विधि विपरीत कार्य करने हेतु कोई दण्ड विद्युत का प्राप्त सन्धान नहीं है। पी0ठी0ए0 के नुस्खा: तीन प्रकार के सदस्य होते हैं–

(1) अध्यापक प्रतिनिधि।
(2) अभ्यासक प्रतिनिधि।
(3) प्रबंध तन्त्र प्रतिनिधि।

इन तीनों के सदस्यों में विधि सम्मत काम करने की सम्भवता अत्यन्त आवश्यक है। अध्यापक प्रतिनिधियों में यह विधि सम्मत कार्य करने की अन्वितावश्यकता उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन करने की जा सकती है।

अभिवादन प्रतिनिधियों को इस हेतु उनके सदस्यता से बंधित करके किसी कलांश विशेष के लिये अयोग्य घोषित करके अथवा कोई आर्थिक दण्ड आरोपित करने की जा सकती है।

इसी प्रकार प्रबंध तन्त्र के प्रतिनिधि को भी दण्ड विद्युत किया जा
सकता है। यह दण्ड विधान अत्यन्त सत्ता प्रक्रिया का होना चाहिए और इसका स्वाभाव भी निम्नलिखित (Negative) न होकर विधेयसत्त्व (Positive) होना चाहिए।

अभिभावक-अध्यापक संघ की उर्मियुक्त कल्पना के अलावा निम्नलिखित दोष भी अभिभावक संघ में दिखायी दिये—

(1) अभिभावकों से शुल्क न लेना—

अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन की विनियमनी के अध्याय दो में कार्यकारिणी का गढ़, एवं उसके चुनावादि की प्रक्रियाएँ वर्णित है। जिसमें विद्यालय के सभी छात्रों के अभिभावक बिना शुल्क लिये सदस्य बना लिये जाते हैं। जिससे सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और चुनाव जन-प्रतिनिधियों जैसा दिखाया लगता है। अतः यह आवश्यक है कि सदस्यता शुल्क निर्धारित किया जाए, क्योंकि सदस्यता शुल्क आदि आने से संस्था का जहाँ आर्थिक आधार बनता है, वहीं शुल्क दाता की आत्मीयता भी संस्था के साथ जुड़ती है, और सदस्य को अपने उत्साह एवं अधिकारिता का भी ज्ञान होता है। और सदस्यता का शुल्क देने से अभिभावक की यह भी अनुभूति होती है। विशेष यह विद्यालय के लिए या संस्था के लिये अपने योगदान का अंश दे रहा है।

सदस्यता का शुल्क ऐसा निर्धारित होना चाहिए कि अधिक से अधिक अभिभावक उसके सदस्य बन सके। और विद्यालय एवं छात्रों के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सकें। तथा सही मायने सामाजिक सहभागिता को चरित्रायण कर सके।

(2) रिटायर्ड अध्यापकों को लाभित कराना—

अभिभावक अध्यापक संघ की वर्तमान विनियमनी के चुनाव में भाग लेने हेतु अवकाश प्राप्त अध्यापकों एवं निलंबित अध्यापकों को अन्यहार्य (अयोध्य) घोषित किया गया है। जहाँ तक निलंबित अध्यापक का प्रश्न है उसका आयोजन घोषित करना उचित प्रतित होता है। किंतु अवकाश प्राप्त अध्यापक को यह दण्ड कैसे दिया गया सफल नहीं है। वास्तव में पी10 और 10 की विद्यालयी में रिटायर्ड अध्यापकों को समन्वित न करना बहुत बढ़ी भूल है। रिटायर्ड अध्यापक समाज का यह आदर्शीय व्यक्ति होता है, जिसके शिक्षा विभाग की लम्बी अवधि तक सेवा की है और शिक्षण के अनुभव विशाल भंडार जिसके पास संबंधित है। रिटायर्ड होने के कारण उनके पास समय बहुत अधिक होता है।

वे छात्र एवं विद्यालय की समस्याओं को भली भंति समझते हैं। और उन समस्याओं के निराकरण के लिये उनके पास व्यवहारिक हल, अपने अनुभव के आधार पर होता है। पर्याप्त समय उपलब्ध होने के कारण, उनकी चिंताशील शक्ति ही केन्द्रित की जा सकती है। और उनकी मानविक भावनाओं का विद्यालय को लभ प्राप्त हो सकता है। जीवन भर शिक्षा से जुड़े रहने के कारण वे शैक्षिक कार्यक्रमों में विशेष योगदान दे सकते हैं। पी0 और 10 का मूल उद्देश्य छात्र
(3) विषय यार (काशावार) नामिक बैठकों को नियमित करना—

अध्यापक अभिभावक एसोसियेशन का संसूदित रूप में काशावार (विषयावार) सम्मलनों की योजना प्रस्तुत की गई है। और अध्याय पार्चन विभाग में 31वें अनुच्छेद के अन्तर्गत यह प्राधान्य किया गया है कि अग्रणि मास के प्रव्रथक रविवार को आयोजित एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिविष्ठ समिति सभा कार्यकारिणी के चुनाव एवं अन्य कार्यवाही के उपरांत क्राशावार-अभिभावक अध्यापक सम्मलनों में विभाजित हो जायेगी। और प्रत्येक कक्षा के छात्रों को आगामी सत्र के पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना बनानेगी। जिसका कार्यवाहन संस्करण की प्रबंध समिति एवं अध्यापक अभिभावक ऐसोसियेशन की कार्यकारिणी द्वारा नियोजित किया जायेगा। और जिसकी मात्रिक बैठकों “प्रत्येक मास के प्रव्रथक रविवार को, कार्यकारिणी की बैठक विद्याध्याय के परिसर में होगी चाहिए।”

उक्त प्राध्याय 30 प्र.0 शासन का अर्थ शासकीय पत्रांक 686/15-14/88/42(3)/86 दिवांग 7 अप्रैल, 1988 द्वारा किये गये। किन्तु यह संदेहित मात्र कार्यजी संशोधन होकर रह गये। इन संशोधनों को क्रियाविधि करने में मिलनकुख बाध्य थे। पही:

1- अभिभावकों की अति व्यस्तता के कारण अनुपस्थिती।
2- अध्यापकों को रविवार (अवकाश का दिन) अपनी व्यवस्था औरवन की आवश्यकताओं की सम्पूर्णता में व्यस्तित करना होता है। यदि वे उस दिन वे विद्याध्याय आते हैं तो उसके बदले में उन्हें किसी अन्य दिन का अवकाश देना होना चाहिए, जिसका प्राध्याय इस विद्याध्याय कार्यक्रम में नहीं किया गया। अतः अध्यापकों ने अपने अवकाश का दिन अपने लिए व्यस्त करना उचित माना और वे रविवार के दिनों में अनुपस्थित रहे। अतः उनके किसी प्रकार विद्याध्याय आते की विवश नहीं किया जा सकता।
3- अंशकल्पक शिक्षण (द्वारण) की अधिकता में उलझे रहने के कारण अध्यापकों में प्रत्येक मास के प्रव्रথक रविवार को अपना स्वीकार नहीं किया।
4- विद्याध्याय में कार्यरत शिक्षणोत्तर कर्मचारियों ने धीरे अपने रविवार अवकाश का दिन गवाँकर इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं ली।
5- कतिपय अध्यापकों और अभिभावकों में ऐसे आयोजनों पर लगाने वाले समय पर आपत्तियों की और सहयोग किया।
6- इस हेतु किसी तरह के परामर्श का कोई प्राध्याय न होने के कारण अध्यापकों के इसे समय का अपवाद बताया।

यदि विषयावार (काशावार) मात्रिक बैठकों का आयोजन लाभकारी है, तो इस हेतु सम्बन्धित अध्यापकों को परामर्शिक, अवकाश की सुविधा, और
(4) अगस्त एवं जनवरी मاه में आम सभा की बैठकों की एक विशिष्ट तिथि की अवधारणा—

विशिष्टता में अगस्त मह और प्रथम रविवार को तथा जनवरी मह और प्रथम रविवार को अवधारणा रूप से बैठक बुलाये जाने की अवधारणा निश्चित की गई हैं। समस्त विद्यालयों के कार्यक्रमों में एक रूपता लाने हेतु यह कदम उठाया गया है। किन्तु व्यवहारिक में यह संभव नहीं हो पा रहा है। अगस्त एवं जनवरी के प्रथम रविवारों को यदि बैठक सम्पन्न न हो सके तो बैठक न होने के का स्पष्टीकरण जिला विद्यालय निदेशक को देने का प्रदर्शण है। और उसके स्थान पर अन्य रविवार को बैठक बुलायी जा सके, इसको शिखर डिस्काउंट किया गया है। किन्तु विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न समस्तियाँ होती हैं। कभी-कभी कहीं छाँटों के प्रवेश कार्य भी सतत अ पर चलते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में न तो मतदाता सुशील बन पाते हैं और न आम सभा की बैठक सम्पन्न हो पाती हैं। कहीं-कहीं यह भी देखाने को मिला है। अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष प्रथम रविवार को बैठक बुलाने की अनुमति ही नहीं देते। और बिना अध्यक्ष की अनुमति के बैठक का एजेंडा नहीं निकाला जा सकता।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि अगस्त और जनवरी की माह की अवधारणा तो स्वीकार की जायें, किन्तु यह छूट दी जायें कि उक्त महीनों के किसी भी रविवार या अन्य दिन उक्त आयोजन किये जा सकें। अधिक अद्यावधि यह होगा कि इन आयोजनों का कार्य दिवसों में ही कराया जाए, अवकाश के दिनों में नहीं।

(5) विद्यालय की वार्षिक योजनाओं का समावेश—

विद्यालयों में दो प्रकार की योजनाएं बनायी जाती हैं, पहली लघु अवधि वाली दूसरी दीर्घ अवधि वाली। यह योजनाएं भौतिक विकास से सम्बन्धित होती है। किन्तु शैक्षिक विकास की योजनाएं लघु अवधि की शृंखला योजनाएं होती हैं। जिन्हें शिक्षक अपनी डायरी में अंकित करके दैनिक योजना, सामाजिक योजना, मानसिक योजना, पत्र मानसिक योजना और वार्षिक योजनाओं में विभाग करता है। अध्यापक अभिभावक संघ का कार्य काल मात्रा एक वर्ष का होता है। ऐसी स्थिति में दीर्घ कालीन भौतिक योजनाओं को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार दैनिक पाठ्यक्रम की योजनाओं से लेकर वार्षिक योजनाओं को भी एक साथ शामिल करना पी0 टी0 ए0 के लिये संभव नहीं। साथ ही वार्षिक योजना को लक्ष्यकर दैनिक योजनाओं का लक्ष्य लापन समाप्त कर देना उचित नहीं। अतः यह आवश्यक है, कि अध्यापक अभिभावक संघ शैक्षिक एवं
पाद्यक्रम सम्बन्धी वार्षिक स्वरूप को ही अंगीकृत करें वरन् संघ की आत्म सभा की अगस्त और जनवरी में षट मासिक बैठकों के आधार पर षट-मासिक शैक्षिक योजनाएं और उनका कार्यान्वयन मासिक बैठकों में दैनिक आधार पर निर्धारित करें।

अगर अभिभावक-अध्यापक संघ की इन कमियों और दोषों को सुधार दिया जाय तो अभिभावक-अध्यापक संघ बालक के सर्वार्थी विकास (जिसमें बालक का सम्पूर्ण शैक्षिक विकास, शारीरिक विकास आदि) हो सकता है। और इस सुधार को अभिभावक अध्यापक संघ के पुर्वसुधार के रूप में देखा जायेगा।

अभी तक इस विषय पर किसी भी प्रकार का शोधकार्य भारत में कहीं भी नहीं हुआ है। शोधार्थी ने वर्ष 1991-92 में एम 0 एड 0 परीक्षा हेतु आशिक आतिशक्ति पूर्ति के लिये विषय "माध्यमिक विद्यालय में अभिभावक-अध्यापक-एसोसियेशन की विद्यालय विकास में भूमिका" पर अपना लघु शोध प्रस्तुत किया था। भविष्य में इस विषय के विभिन्न भागों का दृष्टि में रखते हुए, शोध कार्य होते रहेगे। जिससे अभिभावक-अध्यापक एसोसियेशन की शिक्षा तथा शिक्षालयों के साथ भागीदारी हो सके।